

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद गीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:- 590/2022

निर्णय दिनांक :- 29.09.2023

उनवानी प्रार्थना पत्र:-

1. गोपी पुत्र जगदीश जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. मांगीलाल पुत्र जगदीश जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. रामकुंवार पुत्र जगदीश जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0

-प्रार्थीगण-

बनाम

तहसीलदार महोदय देवली जिला टोंक (राज.)

-अप्रार्थी-

उपस्थिति:-

श्री सत्यनारायण धाकड़
अधिवक्ता प्रार्थीगण

तहसीलदार देवली

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 128 राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

बाबत किये जाने पत्थरगढी

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 878 खसरा नम्बर 2922 रकबा 0.63 है0, खसरा नम्बर 4222 रकबा 0.80 है0, खसरा नम्बर 4232 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 4253 रकबा 0.52 है0 कुल किता-4, कुल रकबा 2.07 है0 वाके ग्राम नासिरदा पटवार हल्का नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित है। प्रार्थीगण ने पूर्व में उक्त भूमि की नाप चोप करवायी थी जिसके सीमा चिन्ह मिट चुके हैं तथा सीमाएं अस्पष्ट हो गई हैं जिसके कारण मोके पर प्रार्थीगण एवं अडोस पडोस के खातेदारों के मध्य उक्त भूमि की सीमा एवं कब्जे को लेकर गंभीर विवाद होने की संभावना उत्पन्न हो गई है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी भूमि बाबत उत्पन्न होने वाले विवाद को समाप्त करने के लिये उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना नितान्त आवश्यक है। आराजी भूमि श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय

को प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त आराजी की पत्थरगढी किये जाने हेतु श्रीमान तहसीलदार महोदय, देवली को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार है:- हां, उक्त आराजी आवेदक की खातेदार दर्ज है व कब्जेकाश्त है। हां, आवेदक पड़ोसी खातेदारो सीमा विवाद है। हां, जिन पक्षकारों से सीमा विवाद है। नहीं, आवेदक का जिन खातेदारो से सीमा विवाद है उनको पक्षकार नहीं बनाया है। उक्त आराजी के सम्बन्ध में किसी न्यायालय से स्थगन नहीं है। आवेदक की खातेदारी भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमण राजकीय भूमि नहीं है। पूर्व में सीमाज्ञान नहीं हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार देवली को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पड़ोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी/प्रार्थीगण से नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर, जमाबन्दी सम्वत 2073-76 में अंकित खाता संख्या 878 खसरा नम्बर 2922 रकबा 0.63 है०, खसरा नम्बर 4222 रकबा 0.80 है०, खसरा नम्बर 4232 रकबा 0.12 है०, खसरा नम्बर 4253 रकबा 0.52 है० कुल किता-4, कुल रकबा 2.07 है० वाके ग्राम नासिरदा पटवार हल्का नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज० राजस्थान की पत्थरगढी की जावे। प्रार्थीगण का कब्जा नहीं होने की स्थिति में आराजीयात का सीमाज्ञान कर प्रार्थी/प्रार्थीगण को उक्त विवादित आराजी भूमि की सीमाओ से अवगत करावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली